पत्रांक : 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01 / 2025 / 91(अ०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

उप निदेशक, पंचायत राज,
पटना प्रमंडल, पटना
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण, सहरसा, रोहतास
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
अरवल, बक्सर, औरंगाबाद, किशनगंज,
कटिहार, जमुई, दरभंगा, नवादा, मुजफ्फरपुर,
पटना, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियाँ, भागलपुर,
लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा, सिवान,
सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी एवं वैशाली

पटना, दिनांक 26/2/26

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्यशीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0003–जिला पंचायत की स्थापना" मद में कुल ₹20,30,25,000.00 (बीस करोड़ तीस लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी–1 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित कुल ₹20,30,25,000.00 (बीस करोड़ तीस लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 76(स्वी०) के आलोक में श्री जितेन्द्र सिन्हा, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी का हृदय रोग हेतु दिनांक 08.02.2021 से 10.02.2021 तक अंतर्वासी MANIPAL HOSPITAL BANGALORE में करायी गई चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹2,10,916.00 (दो लाख दस हजार नौ सौ सोलह रूपये) मात्र की राशि आवंटित है।

3. उप निदेशक पंचायत राज कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना का पत्रांक 27, 28 एवं 29 दिनांक 20.01.2026 के आलोक में क्रमशः श्री सुनील कुमार महतो, कार्यालय परिचारी, उप निदेशक पंचायत राज कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना की पुत्री के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹37,280.00 (सैंतीस हजार दो सौ अस्सी

रूपये) मात्र की राशि आवंटित है, श्री अमरनाथ राम, कार्यालय परिचारी, उप निदेशक पंचायत राज कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना की पत्नी के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹48,835.00 (अड़तालीस हजार आठ सौ पैंतीस रूपये) मात्र की राशि आवंटित है एवं श्रीमती जुली कुमारी, तत्कालीन प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, उप निदेशक पंचायत राज कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना की अंतर्वासी रोगी के रूप में प्रसव चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹11,900.00 (ग्यारह हजार नौ सौ रूपये) मात्र की राशि आवंटित है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. **"सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।**

6. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये।यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखासंधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. **इस आवंटित राशि के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–2515000010003) को CFMS Office में विपत्र कोड 16–2515000010003 को यथाशीघ्र Tag/Map करा लिया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि CFMS द्वारा राशि आवंटित की जा सके।**

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की

Aditi

कार्रवाई की जाये। तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

12. **आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।**

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2025 के पृष्ठ संख्या ....63.../टि० पर दिनांक 25/02/2026 को प्राप्त है।

14. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

15. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16–2515000010003 है।

16. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

(नजर हुसैन) 25/2/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2025/...91(आ0)..../पं०रा० पटना, दिनांक 26/2/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

(नजर हुसैन) 25/2/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–01/2025/...91(आ0)..../पं०रा० पटना, दिनांक 26/2/26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

(नजर हुसैन) 25/2/26
अपर सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\Estb & Commt Exp\Zila Panchayat 2025-26\Letter 2025-26.docx128

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष -0003- जिला पंचायत की स्थापना" अन्तर्गत व्यय हेतु राशि का आवंटन विवरणी :–

राशि रुपये में

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन						अन्य मद							योग (8 से 15)
		वेतन 0003.01.01	जी०या०भत्ता 0003.01.03	म०भत्ता 0003.01.04	प०भत्ता 0003.01.05	चि०भत्ता 0003.01.06	योग (3 से 7 तक)	चि० प्रतिपूर्ति 0003.06.01	यात्रा व्यय 0003.11.01	का० व्यय 0003.13.01	दूरभाष 0003.13.03	विद्युत प्रभार 0003.13.04	गाड़े की गाड़ी का भुगतान 0003.13.10	संविदा सेवाएं 0003.28.02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	उप निदेशक पंचायत राज, पटना प्रमंडल पटना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98500.00
2	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण	1437000.00	834000.00	144000.00	51000.00	32000.00	2498000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2498000.00
3	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सहरसा	110000.00	30000.00	10000.00	5000.00	12000.00	167000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167000.00
4	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, रोहतास	1000000.00	600000.00	160000.00	30000.00	30000.00	1820000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1820000.00
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल	1413000.00	819800.00	106000.00	0.00	30000.00	2368800.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2568800.00
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	250000.00
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद	8176000.00	4266000.00	382500.00	0.00	229000.00	13053500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870000.00	13923500.00
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000000.00	7000000.00
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	450000.00
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	550000.00
11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा	15000000.00	9000000.00	1000000.00	200000.00	300000.00	25500000.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25750000.00
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215000.00	215000.00
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	18900000.00	9450000.00	1890000.00	0.00	300000.00	30540000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30540000.00
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233000.00
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण	6806000.00	3032700.00	331500.00	0.00	39000.00	10209200.00	0.00	31000.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	10490200.00
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	370000.00
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	5000.00	0.00	100000.00	0.00	455000.00
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	500000.00
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135000.00
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान	25077000.00	14675000.00	1885000.00	0.00	893000.00	42530000.00	0.00	250000.00	350000.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	43330000.00
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर	11600000.00	6728000.00	812000.00	0.00	650000.00	19790000.00	0.00	80000.00	0.00	20000.00	100000.00	200000.00	0.00	20190000.00
25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230000.00	250000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	580000.00
26	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211000.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	761000.00
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली	22000000.00	13200000.00	2200000.00	0.00	900000.00	38300000.00	0.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	38850000.00
	कुल	111519000.00	62635500.00	8921000.00	286000.00	3415000.00	186776500.00	609500.00	1409000.00	3850000.00	45000.00	100000.00	1750000.00	8485000.00	203025000.00

बीस करोड़ तीस लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र

25/4/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

Aditi